शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र/राशिके/क्रमांक: 61/2025/RSK भोपाल, दिनांक24-03-2025

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषयः-नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 अंतर्गत असाक्षरों व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए अभियान आयोजितकरने विषयक।

संदर्भः- कार्यालयीन पत्र क्र.राशिके/ईएण्डआर/2025/526 भोपाल, दिनांक 10.02.2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अध्याय 21 के प्रावधानों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के असाक्षरों को नवसाक्षर करने हेतु प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में "उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" संचालित किया जा रहा है। उल्लास कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2027 तक प्रदेश को पूर्ण साक्षर किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विद्यालयों/महाविद्यालयों, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काऊट गाइड, बी.एड., डी.एड. के छात्र/छात्राओं की मदद से ग्राम/वार्ड स्तर के प्रत्येक घर के असाक्षर व्यक्तियों का ऑनलाइन/ऑफलाइन शत् प्रतिशत सर्वे कराया जाना है, सर्वे उपरांत चिन्हित असाक्षरों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान के साथ-साथ महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे- वित्तीय साक्षरता, डिजीटल साक्षरता, स्वास्थ्य परिचर्या आदि विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाना है।

सर्वे कार्य हेतु विस्तृत निर्देश एवं गतिविधि कलेण्डर परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अतः कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिनांक 01.04.2025 से नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 अंतर्गत आयोाजित गतिविधियों के साथ-साथ असाक्षरों व्यक्तियों के सर्वेक्षण का अभियान आयोजित करने हेतु कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न- विस्तृत निर्देश।

Digitally signed by
Harjinder Singh
Date: 24-03-2025
12:57:48

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0 क्र/राशिके/क्रमांक: 61/2025/RSK भोपाल, दिनांक 24-03-2025

प्रतिलिपि:-

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र.की ओर सूचनार्थ।
2 जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 जिला परियोजना समन्वयक/जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

File No. SED/58/0011/2025-SB-RSK (Computer No. 408225)
Generated from eOffice by RAKESH KUMAR DUBEY, CONTR(RKD)-SB, CONTROLLER, RAJYA SHIKSHA KENDRA on 24/03/2025 04:27 pm

उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 के साथ- साथ असाक्षर व्यक्तियों का सर्वेक्षण

सर्वे कार्य हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

- प्रदेश के सभी जिलों में नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 के साथ- साथ उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत समस्त ग्राम/वार्ड के समस्त घरों का डोर टू डोर सर्वे दिनांक 01.04.2025 से चरणबद्ध अभियान के रूप में प्रारंभ किया जाना है।
- सर्वे अभियान को सफल बनाने हेतु शासकीय, अशासकीय सभी विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं का सहयोग लिया जाना होगा।
- सर्वे के दौरान अभी तक की मूल्यांकन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नवसाक्षरों को कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करना है एवं उन्हे उनकी आवश्यकतानुसार शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दिया जाना है।
- असाक्षरों को शिक्षा के महत्व को समझाना एवं उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से जुडने हेतु प्रेरित करना।
- सर्वे के दौरान असाक्षरों के साथ-साथ साक्षर व्यक्तियों एवं छात्र/छात्राओं को को "अक्षर साथी" बनने हेतु प्रेरित करना एवं एन.आई.एल.पी. मोबाइल एप्प में रजिस्टर्ड होने की जानकारी देकर उनका रजिस्ट्रेशन करवाना।

सर्वे कार्य प्रक्रिया-

- प्रत्येक ग्राम/वार्ड के सामाजिक चेतना केन्द्र के नोडल अधिकारी एवं कार्यक्रम में सहयोग कर रहे व्यक्तियों को यूनेस्कों के अनुसार साक्षरता की परिभाषा एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक योजनाओं में उत्तीर्ण नवसाक्षरों के उपरांत शेष बचे असाक्षरों की संख्या की जानकारी होना चाहिए।

24/03/25

- ग्राम/वार्ड स्तर के आंगनवाड़ी केन्द्रों से स्थानीय असाक्षरों की नामजद जानकारी प्राप्त की जाए।
- स्थानीय बी.एल.ओ से असाक्षर लोगो की नामजद जानकारी प्राप्त की जाए।
- ग्राम/वार्ड स्तर के बैंकों से. उन लोगों की सूची प्राप्त की जाए जो हस्ताक्षर नहीं करते हों।
- नोडल अधिकारी अपने ग्राम के सभी शिक्षकों, छात्र/छात्राओं एवं अक्षर साथियों के साथ ग्राम का एक नजुली नक्शा तैयार कर शिक्षकों एवं जहां-जहां छात्र/छात्राएं रहते हैं उनकी टीम बनाकर असाक्षरों के सर्वे की जवाबदारी सौंपी जायेगी।
- नोडल अधिकारी, सर्वेकर्ता शिक्षक एवं अक्षर साथी को NILP-MP मोबाइल एप्प के माध्यम से सर्वे की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाए।
- प्रत्येक शिक्षक को एक निर्धारित प्रपत्र दिया जाए। शिक्षक द्वारा दिनांक 02.04.2025 से अक्षर साथियों, स्थानीय शिक्षित युवाओं की टीम बनाकर सभी सदस्यों के सहयोग से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 20.04.2025 तक जानकारी भरी जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम/वार्ड के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के कक्षा 05 से 12 के छात्र/छात्राएं एवं महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं को "अक्षर साथी" के रूप में कम से कम 05 असाक्षरों को "उल्लास-अक्षर पोथी" प्रवेशिका के माध्यम से पठन-पाठन कराते हुए नवसाक्षर करने की जवाबदारी प्रोजेक्ट वर्क के रूप में सौंपी जाए। प्रत्येक छात्र/छात्राओं का NILP-MP मोबाइल एप्प में अनिवार्यतः रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है क्योंकि इन सभी "अक्षर साथी" को राज्य स्तर से ऑनलाइन प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक शासकीय शिक्षक द्वारा उपरोक्त मोबाइल एप्प को इंस्टॉल करके स्वयं के यूनिक आईडी एवं पासवर्ड से लॉगइन किया जा सकता है।
- अशासकीय शिक्षक स्कूल के PS ID से लॉगइन कर सकते है। शाला के अन्य शिक्षकों/छात्रों/स्वयंसेवकों को मोबाइल एप्प उपयोग करने के लिए

24/03/25

"अक्षर साथी" के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के समय जिस शाला का चयन करेंगे। उस शाला के शाला प्रभारी द्वारा एप्प पर सत्यापन उपरांत उन्हे यूजरआईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा जिससे अक्षरसाथी मोबाइल एप्प पर लॉगइन कर सकेगें।

- जिला एवं विकासखण्ड स्तर से प्रतिदिन अनिवार्यतः सर्वे की मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जाना होगी।
- सर्वे उपरांत सामाजिक चेतना केन्द्र के नोडल अधिकारी, से ग्राम/वार्ड के समस्त घरों का सर्वे होने संबंधी सत्यापित प्रमाण-पत्र लिया जाएगा। केन्द्र में संधारित साक्षरता पंजी को अद्यतन किया जाएगा। सत्यापित प्रमाण-पत्र उपरांत यदि कोई घर सर्वे हेतु शेष बचता है तो संबंधित नोडल अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।

24/03/25

(डॉ राकेश दुबे)
नियंत्रक, साक्षरता
राज्य शिक्षा केन्द्र

नवीन शिक्षा सत्र 2025–26 के अंतर्गत उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गतिविधि केलेण्डर

क्र	विषयवस्तु	समय–सीमा	गतिविधियाँ	स्थान	जवाबदारी
01	**प्रचार–प्रसार**	01 अप्रैल 2025 से सतत्	• रैली, संगोष्ठी आदि का अयोजन। • नारे लेखन • नुक्कड नाटक • साक्षरता रथ यात्रा	ग्राम/वार्ड स्तर पर संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय	• जिला स्तर– जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक • विकासखण्ड स्तर– विकासखण्ड स्रोत समन्वयक एवं विकासखण्ड सह समन्वयक साक्षरता • संकुल स्तर– संकुल प्राचार्य, जन शिक्षक एवं संकुल सह समन्वयक • ग्राम/वार्ड स्तर– समस्त नोडल अधिकारी (समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी) एवं शिक्षक
02	**साक्षरता सभा**	01 अप्रैल 2025	दिनांक 01 अप्रैल 2025 को बाल सभा के आयोजन में उपस्थित अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाना। असाक्षर अभिभावकों को उल्लास कार्यक्रम से जुड़कर साक्षर होने हेतु प्रेरित करना।	ग्राम/वार्ड स्तर पर संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय	• संकुल स्तर– संकुल प्राचार्य, जन शिक्षक एवं संकुल सह समन्वयक • ग्राम/वार्ड स्तर– समस्त नोडल अधिकारी (समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी) एवं शिक्षक
03	**नामांकन**	01 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 तक	दिनांक 01 अप्रैल 2025 से शत् प्रतिशत असाक्षरों को साक्षरता पंजी में दर्ज कराकर, उन्हीं के बच्चों/अक्षर साथियों से पठन–पाठन कराया जाना।	ग्राम/वार्ड स्तर पर संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय	• ग्राम/वार्ड स्तर– समस्त नोडल अधिकारी (समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी) एवं शिक्षक
04	**सामाजिक चेतना केन्द्रों का संचालन**	01 अप्रैल 2025 से सतत्	केन्द्रों पर बैठक व्यवस्था, पीने के पानी आदि की व्यवस्था करते हुए अक्षर साथियों एवं शिक्षकों द्वारा कक्षाओं का संचालन किया जाए।	ग्राम/वार्ड स्तर पर संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय	• ग्राम/वार्ड स्तर– समस्त नोडल अधिकारी (समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी) एवं शिक्षक

उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत
साक्षरता पंजी का प्रारूप

सामाजिक चेतना केंद्र/शाला का नाम

नोडल अधिकारी/केंद्र प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर

शाला का DISECODE **शाला का पूर्ण पता**

क्र.	समग्र आईडी	असाक्षर व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	माता का नाम	विवाहित/अविवाहित	जन्मतिथि	लिंग	दिव्यांग ता हॉ/नहीं	पूर्ण पता	वर्ग GEN/OBC/SC/ST/MINORITY	मोबाइल नंबर	आधार नंबर	पंजीक़त हॉ/नहीं	साक्षरता परीक्षा में सम्मिलित हुए या नहीं	परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण/ सुधार की आवश्यकता	फोटो यदि उपलब्ध हो तो	अक्षर साथी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

नोटः- बसाहट के प्रत्येक असाक्षर व्यक्ति का चिन्हांकन करके इस निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संकलित करना अनिवार्य है, प्रत्येक नोडल अधिकारी इसके लिए जवाबदेह होंगे